दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

(47)

निग -1224-PBR/16

प्र.क्र. 15 निगरानी

रामस्वरूप पुत्र गोपाल सिंह कुशवाह आयु–44 वर्ष
व्यवसाय–खेती निवासी– ग्राम दंगिया पुरा
पोस्ट–रनगवां, तहसील व जिला ग्वालियर

...............आवेदक

विरूद्ध

पोथीराम पुत्र श्री गोपाल सिंह कुशवाह आयु–65 वर्ष व्यवसाय–खेती निवासी– ग्राम असहोना, पोस्ट– ग्राम दंगियापुरा, तहसील व जिला ग्वालियर

.........अनावेदक

श्री एस. के. अग्रवाल, अधि० द्वारा आज दि. 13-4-16 को प्रस्तुत

13/4/16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

13-4-16
K. AGARWAL

निगरानी आधीन धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश 08.12.2015 पारित न्यायालय जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 02/2015–16 अपील

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1. यहकि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विपरीत विधान एवं प्रकरण पत्रावली के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि अधीनस्त न्यायालय ने प्रकरण को समझने में एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जिससे प्रार्थी न्याय पाने से वंचित रह गया है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1204/पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	